राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–124 / 2022

ज्योति मिश्रा

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2022
आदेश की दिनांक : 17.01.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अनिल कुमार कुमावत, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत है तथा उसमें 14 वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापित रहकर कार्य किया है। उसने दिनांक 21.07.2021 को स्थानांतरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलार्थी को दिनांक 14.08.2021 के आदेश द्वारा रा.उ.मा.वि. मोगडा कलॉ लूणी, जोधपुर से रा.बा.उ.मा.वि., महामंदिर जोधपुर में स्थानांतरित किया गया था, जहां उसके द्वारा कार्यभार भी संभाल लिया गया। अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी क्रम 6 श्रीमती विनोद शेखावत के स्थान पर स्थानांतरित / पदस्थापित किया गया था। निजी प्रत्यर्थी क्रम–6 श्रीमती विनोद शेखावत ने उक्त आदेश के विरूद्ध अपील संख्या 3820 / 2021 प्रस्तुत कर माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 01.11.2021 से अंतिम स्थगन प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात् आलोच्य आदेश दिनांक 07.01. 2022 द्वारा उसका पदस्थापन रा.उ.मा.वि., चौपासनी, चारणान तिंवरी जोधपुर में कर दिया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी 14 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापित रहा है। उसके बाद उसकी प्रार्थना पर उसका

जोधपुर शहर में पदस्थापन हुआ था, परंतु उसका स्थानांतरण वर्तमान में दुर्भावनापूर्वक चौपासनी चारणान, तिंवरी, जोधपुर किया गया है। उसके दो लड़कियां है और 82 वर्ष की वृद्ध सास है, जो बीमार रहती है, जिनकी देखभाल के लिये उसका उनके पास रहना आवश्यक है और इस आदेश से उसे परेशानी होगी। उन्होंने अपील में आदेश दिनांक 07.01.2022 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा दोहरा पदस्थापन हो जाने की स्थिति में अपीलार्थी को स्थायी रूप से चौपासनी चारणान, तिंवरी जोधपुर पदस्थापन किया गया है। इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त पदस्थापन विद्यालय व्यवस्था सुचारू रूप से बनाई रखने एवं छात्रहित में स्थायी रूप से किया गया है।

3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। पूर्व में जो अपील संख्या 3820/2021 विनोद शेखावत द्वारा प्रस्तुत की गई थी, उसमें विनोद शेखावत के पक्ष में अंतरिम स्थायी स्थगन आदेश दिनांक 21.09.2021 को पारित किया गया था। वर्तमान में उक्त अपील का निस्तारण दिनांक 19.10.2022 के आदेश के द्वारा किया जा चुका है, जिसमें अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 21.09.2021 को स्थाई किया गया है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह भी छूट प्रदान की गई है कि वे उक्त अपील में अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण जनहित एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नये आदेश के द्वारा कर सकते है। अतः वर्तमान में इस अपील के अपीलार्थी के स्थानांतरण के लिए निजी प्रत्यर्थी को छूट प्रदान की जा चुकी है। दोहरा पदस्थापन हो जाने की स्थिति में जो आदेश दिनांक 07.01.2022 (अनुलग्नक–4) पारित किया गया था, वह अस्थायी रूप से किया गया था। वर्तमान में चूंकि प्रत्यर्थी विभाग को नवीन स्थानांतरण आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्रता दी जा चूकी है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग वर्तमान अपीलार्थी व निजी प्रत्यर्थी दोनों को स्थानांतरण जनहित एवं प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पारित करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में अब आलौच्य आदेश दिनांक 07.01.2022 (अनुलग्नक–4) में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

4. परिणामस्वरूप ये अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)